संख्या– 895 /XV1/08/13(8)/2005

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान,
गोपेश्वर (चमोली)।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 30 जुलाई,2008

विषय:–जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान,गोपेश्वर (चमोली) के मण्डल कैम्पस में बरसाती पानी की निकासी हेतु नाले के निर्माण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1841/जे0बू0स0/4–3/2007–08 दिनांक–29.01.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, गोपेश्वर (चमोली) द्वारा बरसाती पानी की निकासी हेतु नाले के निर्माण हेतु गठित आगणन की कुल धनराशि रू0–10.47 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0–0.37 लाख (रू0 आठ लाख सैंतीस हजार मात्र) की लागत के संलग्न प्रारम्भिक आगणन को वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष प्रदान करते हैं–

1– कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हैं, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। बिना ऐसी स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित कार्य स्थल का मृदा परीक्षण अवश्य करा लिया जाय, तथा मृदा परीक्षण आख्या में दिये गये सुझावों के अनुसार भवन निर्माण कार्य किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

5– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

6– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लिया जाय। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य कराया जाय। साथ ही नाले के निर्माण में दिनांक–14.05.2008 को किये गये संयुक्त निरीक्षण (सिंचाई विभाग, लो0नि0वि0 एवं पेयजल निगम द्वारा किया गया संयुक्त निरीक्षण) की टिप्पणी दिनांक–27.05.08 में इंगित प्रतिबन्धों की अनुपालना की जायेगी।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाये जाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

10– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–2047/XIV–219/2006,दिनांक–30 मई, 2006 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

...2/–

11– उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, जड़ी–बूटी के माध्यम से सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा नियमानुसार उपलब्ध कराई जायेगी।

12– इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय का वहन संस्थान द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से अथवा उनके पास उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा। इस हेतु उन्हें पृथक से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–132(P)XXVII–4/2008,दिनांक–22 जुलाई, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

संख्या– ६९५ /XVI/08/13(8)/2007,तददिनांक:
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोपेश्वर (चमोली)।
4. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
5. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखन्ड पेयजल निर्माण निगम, गोपेश्वर (चमोली)।
6. जिलाधिकारी, चमोली।
7. निदेशक,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव।